न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

1. कृष्णलाल पुत्र श्री बृजलाल जाति गर्ग निवासी रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थी.....

बनाम-

1. धर्मपाल पुत्र श्री बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी भातीवाला तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

.....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति :- 1. श्री साहिब बाघला वकील अप्रार्थी
2. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 40/2018 निर्णय दिनांक - 27/06/2019

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

यह कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 29 जी.बी.(ए) का मु.नं. 6 प.नं. 184/407 का किला नं. 3, 4, 7, 8, 13, 14 का 1.518 है. बारानी भूमि प्रार्थी के नाम से दर्ज है। एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से 1 एस.वी.एस.एम.(बी) का प. नं. 184/406 मु.नं. 37 का किला नं. 18 से 25 का 2.024 है. अनकमाण्ड भूमि दर्ज है। प्रार्थी के उक्त रकबा के लिए वर्तमान में कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी पूर्व में लगभग 15-20 वर्षो से चले आ रहे रास्ता चक 1 एस.वी.एस.एम.(बी) का प.नं. 184/406 मु. नं. 37 के किला नं. 21, 22, 23 में से अपने रकबा में प्रवेश करता है। जो कि आगे स्वीकृत शुदा सड़क मिलता है। तथा उक्त रास्ता अप्रार्थी के ज्ञान में है तथा वर्तमान में प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग पिछले कई वर्षो से लगातार करता आ रहा है। उक्त रास्ता चक 1 एस.वी.एस.एम.(बी) का प.नं. 184/406 मु. नं. 37 के किला नं. 21, 22, 23 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। तथा स्वीकृत शुदा नहीं है। जिसे कभी भी अप्रार्थी द्वारा बन्द किया जा सकता है यदि भविष्य में अप्रार्थी के द्वारा उक्त रास्ता बन्द कर दिया जाता है तो

लगातार.....2

Priyanka
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी के रकबा के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए प्रार्थी चक 1 एस.बी.एस. एम.(बी) का प.नं. 184/406 मु. नं. 37 के किला नं. 21, 22, 23 में 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी को अपने रकबा में प्रवेश करने के लिए यही रास्ता सबसे छोटा एवं सुगम रास्ता है। तथा अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं है। प्रार्थी इसी रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है। यही रास्ता प्रार्थी के रकबा के लिए सबसे सुगम रास्ता है। अति उक्त जगह को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थी रास्ते में आई भूमि के बदले में भूमि या राजकीय दर पर नगद प्रतिफल भी देने के लिए तैयार है। इसलिए उक्त रास्ता को आम रास्ता के रूप में स्वीकृत करने पर अप्रार्थी को कोई क्षति असुविधा नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी के रकबा चक 29 जी.बी.(ए) का मु.नं. 6 प.नं. 184/407 का किला नं. 3, 4, 7, 8, 13, 14 का 1.518 है, बारानी भूमि में प्रवेश करने के लिए चक 1 एस.बी.एस.एम.(बी) का प.नं. 184/406 मु. नं. 37 के किला नं. 21, 22, 23 में 2-2 बिस्वा भूमि को रास्ता आम के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करे। जनाब की मेहरबानी होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को बार बार अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए जवाब अप्रार्थी संख्या 1 बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 29 जी. बी.(ए) मुताबिक जमाबन्दी 2073-76 में किला नं. 3, 4, 7, 8, 13, 14 कुल 1. 518 है, बारानी रकबा कृष्णलाल पुत्र बुजलाल जाति अग्रवाल सा. रायसिंहनगर खातेदारवर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी की भूमि की ओर मुख्य सड़क से 7 बीघा की दूरी पर है। प्रार्थी के रकबो को चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है, किन्तु प.नं. 184/407 (चक 1 एस.बी.एस.एम. 'बी') में 21 ता 25 में 4-4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत शुवा व मौके पर चालू है तथा चक 29 जी.बी.(ए) में प.नं. 184/407 किला नं. 21 ता 25 में स्वीकृत नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा किला नं. 21 ता 25 में चालू रास्ता से 2 बीघा दूरी पर है। प्रार्थी को अपने रकबा में आने जाने हेतु रास्ता अति आवश्यक है। प्रार्थी को अपने रकबे में आने जाने हेतु निकटतम रास्ता किला नं. 21 ता 25 में स्वीकृत चालू रास्ता से 2 बीघा दूरी पर है। प.नं. 185/406 का रकबा गै.मु.

लगातार.....3

Scanned by CamScanner

आवासीय दर्ज रिकॉर्ड है तथा किला नं. 21 ता 25 में चालू रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहं है। प.नं. 184/407 व 185/407 का रकबा दोहरा अंकन से प्रभावित है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के रकबा के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। परन्तु प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी के रकबा के निकटतम और सबसे छोटा रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपने रकबे में आने जाने हेतु निकटतम रास्ता किला नं. 21 ता 25 में स्वीकृत चालू रास्ता से 2 बीघा दूरी पर है। प.नं. 185/406 का रकबा गै.मु. आवासीय दर्ज रिकॉर्ड है तथा किला नं. 21 ता 25 में चालू रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहं है। प.नं. 184/407 व 185/407 का रकबा दोहरा अंकन से प्रभावित है। ऐसी परिस्थितियों प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 27.06.2019 मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उप जिला कलक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner